न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 11/2024 FSSA

1. सरकार जरिये डॉ. मदन लाल गुर्जर
   कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री विमल कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री प्रकाश चन्द खण्डेलवाल
   एफबीओ/विक्रेता मैसर्सः—केदावत प्रोविजन स्टोर चुंगी नाका, लालसोट रोड दौसा निवासी किरण नर्सिंग होम के पीछे निधिवन नगर दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 23.04.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. मदन लाल गुर्जर ने दिनांक 11.10.2023 को समय 12:01 PM पर बजे मैसर्स केदावत प्रोविजन स्टोर चुंगी नाका, लालसोट रोड दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय वहां श्री विमल कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री प्रकाश चन्द खण्डेलवाल उपस्थित मिला, जिसको अपना परिचय दिया तथा परिचय पूछने पर श्री विमल कुमार खण्डेलवाल ने स्वयं को मैसर्सः—केदावत प्रोविजन स्टोर चुंगी नाका, लालसोट रोड दौसा का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र दिखाया। निरीक्षण के समय दुकान में अन्य खाद्य पदार्थो के साथ स्टील के केन में लगभग 8.0 किलोग्राम सरसों तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** का निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो विक्रेता श्री विमल कुमार खण्डेलवाल को नियमानुसार फार्म 5 ए की लिखित सूचना देते हुये विक्रेता व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता श्री विमल कुमार खण्डेलवाल को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में लोहे के एक टिन मे रखे लगभग 12—13 किलोग्राम सरसों तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** में से 4 साफ व सूखी प्लास्टिक शीशियों में 400—400 ग्राम (कुल मात्रा 1600 ग्राम) सरसों तेल नियमानुसार भरवाकर इलेक्ट्रानिक मशीन से तुलवाकर सरसों तेल खुला वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत 1680/—(अक्षरे एक सो अडसठ रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने क्रय किये गये सरसों तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** को श्री विमल कुमार खण्डेलवाल एवं गवाहान को दिखाकर प्लास्टिक की साफ व सूखी चार शीशियों में बराबर—बराबर प्रत्येक शीशी में 400—400 ग्राम सरसों तेल खुला भरकर शीशियों के ढक्कन लगाकर नियमानुसार एयरटाईट बन्द किया तथा नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक **AG—3901** अंकित किया तथा प्रत्येक लेबलों पर विक्रेता श्री विमल कुमार खण्डेलवाल तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.04.30 11:24:25 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गोंद से चिपकाया व चारो नमूना भागों को अलग–अलग एक खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर **AG–3901** को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कायार्लय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 12.10.2023 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाये। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 12.10.2023 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** के नमूने की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस. /1873/एक्ट/2023/1895 दिनांक 23.10.2023 के अनुसार विक्रेता श्री विमल कुमार खण्डेलवाल से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया सरसों तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** का नमूना खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 (विक्रय एवं प्रतिषेध) रेगुलेशन नम्बर 2.3.15(b) का उल्लंघन करने के कारण कान्ट्रावेन **(Contravene)** स्तर का पाये जाने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./1873/एक्ट/2023/1895 दिनांक 23.10.2023 के अनुसार विक्रेता श्री विमल कुमार खण्डेलवाल से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया सरसों तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 (विक्रय एवं प्रतिषेध) के रेगुलेशन नम्बर 2.3.15(b) का उल्लंघन होने के कारण कान्ट्रावेन **(Contravene)** स्तर का पाया गया है। विक्रेता ने सरसों तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2)(V) का उल्लंघन है, जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 58 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि हमारे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। हमारे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** को ग्राहको की मांग के अनुसार खुला सरसों का तेल विक्रय किया है। हमे यह मालुम नहीं था कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुसार खुला सरसों का तेल विक्रय करना वर्जित है। भविष्य में हमारे द्वारा खुला सरसों के तेल का विक्रय नहीं किया जावेगा। प्रथम बार हुई गलती के लिये प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Pareek
Date: 2024.04.30 11:24:25 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 11/2024 FSSA

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./1873/एक्ट/2023/1895 दिनांक 23.10.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 (विक्रय एवं प्रतिषेध) के रेगुलेशन नम्बर 2.3.15(b) का उल्लंघन होने के कारण कान्ट्रावेन **(Contravene)** स्तर का पाया गया है। विक्रेता ने सरसों तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2)(V) का उल्लंघन है, जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 58 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सरसों तेल खुला **(Mustard Oil Loose)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री विमल कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री प्रकाश चन्द खण्डेलवाल एफबीओ/विक्रेता मैसर्सः—केदावत प्रोविजन स्टोर चुंगी नाका, लालसोट रोड दौसा निवासी किरण नर्सिंग होम के पीछे निधिवन नगर दौसा पर 10000/—(अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 23.04.2024 के एक माह के अन्दर—अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210—04—800—03—00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/ 2024/ दिनांकः— 23.04.2024

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री विमल कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री प्रकाश चन्द खण्डेलवाल एफबीओ/विक्रेता मैसर्सः—केदावत प्रोविजन स्टोर चुंगी नाका, लालसोट रोड दौसा निवासी किरण नर्सिंग होम के पीछे निधिवन नगर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.04.30 11:24:25 IST
Reason: SelfAttested